संख्या- 85 /2026/1837/22-2-2024-17(636)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 जनवरी, 2026

विषय:- केंद्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तकसीर पुत्र श्री बशीर, निवासी जनपद-सुलतानपुर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केंद्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तकसीर पुत्र श्री बशीर जो पिपरी, थाना-कुडवार जनपद-सुलतानपुर का निवासी है। दोनों पक्षों के बीच मकान और आपराधिक मामले के विवाद को लेकर दिनांक 23.06.1978 को 39 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, लाठी व भाला से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-177/1978 में भा०द०वि० की धारा-342, 336, 427, 148, 302/149, 324/149 201/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-1 सुलतानपुर द्वारा दिनांक 30.10.1980 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04.09.2015 द्वारा आजीवन कारावास को यथावत रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 05.12.2023 तक अपरिहार 08 वर्ष, 01 माह, 09 दिन तथा 09 वर्ष, 05 माह, 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 05.12.2023 तक 68 वर्ष, 06 माह, 22 दिन है।

3- सिद्धदोष बन्दी तकसीर पुत्र श्री बशीर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 05.12.2023 तक अपरिहार 08 वर्ष, 01 माह, 09 दिन तथा सपरिहार 09 वर्ष, 05 माह, 27 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने पर समाज में प्रतिकूल सन्देश जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तकसीर(बन्दी संख्या-156/18) पुत्र श्री बशीर, निवासी जनपद-सुलतानपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 85 /2026/1837(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।